

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

बनाम **कमल**

प्रकरण संख्या 169/2024

किस्म मुकदमा :- 88/188 राज0 काश्त0 अधि0 1955
131/1366AA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1318/24	<p>अधिवक्ता वादी न उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंगन धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 14/9/24 को पेश हो।</p> <p>omy उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद</p>	
14/9/24	<p>प्रतिवादी 10 को भेट द करिवा किस कि रोजे जावे जे कम प्र. 11 को पत्र करिवावा प्र. अधिवक्ता प्र. 11 को प्रतिवादी व. 1 रोजेवा तारीख सुधुवा की विधिगत कर के सम्बन्ध करिवावा सम्बन्ध वादी जरी मिलल वता जवाब (पत्र दिनांक 20-9-24 को पेश हो</p> <p>omy उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद 169/2024</p>	<p>प्रतिवादी 10 वादपत्र को नसीराबाद साथ जो नोटिस के साथ पेश किया दिनांक 10/9/24 तारीख 11/9/24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 11/9/24</p>
20/9/24	<p>अधिवक्ता वादी ने ज. पत्रा पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र होना चाहिए अतः वादपत्र सादा करि कार्यवाही की जावे हो। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर वाद पत्रा पेश करि मिल गया है। वादी अधिवक्ता दिनांक 20/9/24 को पेश हो</p> <p>omy उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद 169/2024</p>	<p>20/9/24 अधिवक्ता दिनांक 20/9/24</p>